जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति | दिनांक-06.08.2025

प्रेस नोट

थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 06.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.मोहसीन पुत्र मुस्तकीम निवासी मौहल्ला मुस्तफाबाद थाना कांधला जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवैल/नलकूपों से चोरी किया गया तार, घटना में प्रयुक्त उपकरण व अवैध चाकू बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 04/05.08.2025 की रात्रि में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सकौती के जंगल में ट्यूबवैल/नलकूपों से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री श्रवण पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम सकौती थाना झिंझाना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर को टयूबवैल/नलकूपों से चोरी किये गये तार, घटना में प्रयुक्त उपकरण व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इरफान पुत्र फक्कर निवासी ग्राम नया कुन्डा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1.टयूबवैल/नलकूपों से चोरी किया गया तांबे का तार 500 ग्राम।

2.घटना में प्रयुक्त उपकरण प्लास, दरांती, रेत्ती, टार्च आदि।

3.एक अवैध चाकू।

<u>थाना साइबर क्राइम जनपद शामली द्वारा की गयी कार्यवाही में ठगी की गयी 4,12,222/- रुपये की धनराशि वापस कराई गईः-</u>

ज्ञात हो दिनांक 31.07.2025 को आवेदक श्री राहुल संगल पुत्र श्री अवधेश संगल निवासी कमला कालोनी थाना कोतवाली जनपद शामली से अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोरबी गुजरात से टाईल्स खरीदने की बात तय हुई , बात तय होने पर आवेदक द्वारा विपक्षीगण के मोरबी गुजरात के खातों में कुल धनराशि 4,12,222/- रुपये RTGS के माध्यम से भेजे गये परंतु उसके उपरान्त विपक्षी द्वारा न तो माल भिजवाया गया और न ही धनराशि वापस की गयी तथा मोबाइल बन्द कर धनराशि ठगी करने के सम्बन्ध में आवेदिक श्री राहुल संगल द्वारा में थाना साइबर क्राइम जनपद शामली पर शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त दिया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन में थाना साइबर क्राइम जनपद शामली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए मोरबी गुजरात टाईल्स देने के नाम पर 4,12,222/- रुपये की धनराशि वापसी कराई गई है। आवेदक राहुल संगल द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, थाना साइबर क्राइम जनपद शामली का आभार व्यक्त किया गया है।

<u>थाना साइबर क्राइम जनपद शामली टीमः-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्रीमती सीमा शर्मा साइबर क्राइम थाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री गौरव त्यागी साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

3.है0का0 विकास कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

4.का0 अर्चित कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

5.का0 सचिन कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

6.का0 अनुज कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

7.का0 मुनेन्द्र कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग-अलग 01 मामले में 01 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2024 में अभियुक्त सूफियान पुत्र कल्लू निवासी मौहल्ला खैलकला थाना काँधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 174ए भादवि0 पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 06.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI